



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04032022-233907
CG-DL-E-04032022-233907

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 956]
No. 956]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 4, 2022/ फाल्गुन 13, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 4, 2022/PHALGUNA 13, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

(राजस्व आसूचना निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2022

सं. 2/2022-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

का.आ. 986(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं.60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i)में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि.916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i)में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं:-

तालिका

क्र.सं.	नोटिसी का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री बिपिन कुमार सिंह, नाविवादी, के पी बिल्डिंग, दूसरा तल, चिरा बाज़ार, मुंबई-400002, श्री परवेज़ सोपारीवाला, 1202, ज़ाम ज़ाम टावर, बेलवर्डे रोड, जीएसटी भवन के निकट, मजगाँव, मुंबई-400011, और श्री भारत भूषण सिंह, 10312, डबल स्टोरी, मोतिया खान, पहाड़गंज, नई दिल्ली-110055.	फ़ा. सं. DRI/MZU/C/Int- 101/2019 दिनांक 06.12.2019.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक), आर एवं आई डिविजन, न्यू कस्टम हाउस, बललार्ड इस्टेट, मुंबई. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक), आर एवं आई डिविजन, न्यू कस्टम हाउस, बललार्ड इस्टेट, मुंबई.
2.	मै. जीएसपीएल सीमलेस पाइपस प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मै. कवीश फोकस पाइपस प्रा. लि. के नाम से जाना जाता था), सर्वे सं. 389, ओरमा, तालुका-ओल्पड, सूरत, गुजरात-394540 और श्री कौशल भगत, निदेशक,	फ़ा. सं. VIII/10- 14/Commr/O&A/2021- 22 दिनांक 16.09.2021.	आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम हाउस, ऑल इंडिया रेडियो के निकट, नवरंगपूरा, अहमदाबाद.	प्रधान आयुक्त / आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम हाउस, ऑल इंडिया रेडियो के निकट, नवरंगपूरा, अहमदाबाद. (तालिका के क्रम सं. 2 से 3 के लिए)

	मै. जीएसपीएल सीमलेस पाइपस प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व मे मै. कवीश फोकस पाइपस प्रा. लिं. के नाम से जाना जाता था), सर्वे सं. 389, ओरमा, तालुका-ओल्पड, सूरत, गुजरात-394540.			
3.	मै. जीएसपीएल सीमलेस पाइपस प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व मे मै. कवीश फोकस पाइपस प्रा. लिं. के नाम से जाना जाता था), सर्वे सं. 389, ओरमा, तालुका-ओल्पड, सूरत, गुजरात-394540 और श्री कौशल प्रमोद चन्द्र भगत, निदेशक, मै. जीएसपीएल सीमलेस पाइपस प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व मे मै. कवीश फोकस पाइपस प्रा. लिं. के नाम से जाना जाता था), सर्वे सं. 389, ओरमा, तालुका-ओल्पड, सूरत, गुजरात-394540.	फ़ा. सं. S/26-Misc-111/2021-22 EPSMMC JNCH दिनांक 13.09.2021	संयुक्त आयुक्त सीमाशुल्क, ईपीसीजी मोन. सेल, न्हवा शेवा-II, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.	

[फा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-1/2022]

भारती शर्मा, संयुक्त निदेशक

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****(Directorate of Revenue Intelligence)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd March, 2022

No. 2/2022-Customs (N.T./CAA/DRI)

S.O. 986(E).—In pursuance of notification No. 60/2015-Customs (N.T.), published *vide* number G.S.R. 453(E), dated 4th June 2015 in Gazette of India, Extra-ordinary, Part-II, section 3, sub-section (i), and as amended by notification No. 133/2015-Customs (N.T.), published *vide* number G.S.R. 916(E) dated 30th November 2015 in Gazette of India, Extra-ordinary, Part-II, section 3, sub-section (i), issued by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, under clause (a) of section 152 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Principal Director General, Revenue Intelligence, hereby appoints officers mentioned in column (5) of the Table below to act as a common adjudicating authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on officers mentioned in column (4) of the said Table in respect of noticees mentioned in column (2) of the said Table for the purpose of adjudication of show cause notices mentioned in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

S. No.	Name of Noticee (s) and Address	Show Cause Notice Number and Date	Name of Adjudicating Authorities	Common Adjudicating Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sh. Bipin Kumar Singh, Naviwadi, K. P. Building, Second Floor, Chira Bazaar, Mumbai-400002, Sh. Parvez Sopariwala, 1202, Zam Zam Tower, Belverde Road, Near GST Bhawan, Mazgaon, Mumbai-400011, and Sh. Bharat Bhushan Singh, 10312, Double Storey, Motia Khan, Paharganj, New Delhi-110055.	F. No. DRI/MZU/ C/Int- 101/2019 dated 06.12.2019.	Joint/Additional Commissioner of Customs (Preventive), R&I Division, New Custom House, Ballard Estate, Mumbai. Joint/Additional Commissioner of Customs, New Custom House, New Delhi.	Joint/Additional Commissioner of Customs (Preventive), R&I Division, New Custom House, Ballard Estate, Mumbai.
2.	M/s. GSPL Seamless Pipes Private Limited (formerly known as M/s.	F. No. VIII/10- 14/Commr/O&A/2021- 22 dated 16.09.2021.	Commissioner of Customs, Custom House, Near All India Radio,	Principal Commissioner/ Commissioner of

	Kaviish Focus Pipes Pvt. Ltd.), Survey No. 389, Orma, Taluka-Olpad, Surat, Gujarat-394540 and Sh. Kaushal Bhagat, Director, M/s. GSPL Seamless Pipes Private Limited (formerly known as M/s. Kaviish Focus Pipes Pvt. Ltd.), Survey No. 389, Orma, Taluka-Olpad, Surat, Gujarat-394540.		Navrangpura, Ahmedabad.	Customs, Custom House, Near All India Radio, Navrangpura, Ahmedabad. (For Sl. No. 2 to 3 of the Table)
3.	M/s. GSPL Seamless Pipes Private Limited (formerly known as M/s. Kaviish Focus Pipes Pvt. Ltd.), Survey No. 389, Orma, Taluka-Olpad, Surat, Gujarat-394540 and Sh. Kaushal Pramod Chandra Bhagat, Director, M/s. GSPL Seamless Pipes Private Limited (formerly known as M/s. Kaviish Focus Pipes Pvt. Ltd.), Survey No. 389, Orma, Taluka-Olpad, Surat, Gujarat-394540.	F. No. S/26-Misc-111/2021-22 EPSMMC JNCH dated 13.09.2021	Joint Commissioner of Customs, EPCG Mon. Cell, Nhava Sheva-II, Jawaharlal Nehru Custom House, Raigad.	

[F. No. DRI/HQ-CI/50D/CAA-1/2022]

BHARTI SHARMA, Jt. DIRECTOR